तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.3.22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी भूमि आराजी नं. 262, 266, 267 भूमि ग्राम भीलड़ी, पटवार हल्का रड़का तहसील मांडल में स्थित उक्त भूमि में प्रार्थीगण के आने-जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 की आराजी नं. 260, 263, 264 की पश्चिमी मेड़ से होकर अप्रार्थी नं. 9, 10 की आराजी नं. 261 की पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। इसके विपरीत अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 8 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार माण्डल के द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी में आने जाने हेतु वर्तमान में खातेदारी आराजी नं. 268 के उत्तरी पूर्वी कोने तक रास्ता आराजी नं. 269 तक बना हुआ होकर चालू है, एवं आराजी नं. 262 तक भी चालू है, प्रार्थीगण इसी रास्ते से आ जा रहे हैं। उक्त प्रकरण में एक वादपत्र सिविल न्यायालय महोदय माण्डल में भी पेश किया गया था जिसके प्रकरण सं. 18/2011 ई.टी. जो दिनांक 28.8.17 को खारीज कर दिया गया था। तथा पक्षकार भी समान थे एवं आराजियात भी समान थी, इसीलिए यह प्रा. पत्र 251-A चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा. पत्र खारीज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	